

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2015/384 दिनांक 56.5.15

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2011-12 व 2012-13 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. अंकुश असोपा	31.10.1985	10.09.2013	09.09.2014
2	डॉ. उर्मिला सैनी	21.08.1986	04.10.2013	03.10.2014
3	डॉ. रावल विधान त्रिपदा प्रसाद	26.06.1982	12.02.2014	11.02.2015
4	डॉ. ध्रुव सिंह मीणा	24.05.1984	09.10.2013	24.11.2014 (77 EOL)
5	डॉ. गुंजन खुंगर	30.11.1985	13.09.2013	12.09.2014
6	डॉ. रामकृपाल मीना	05.05.1978	06.09.2013	05.09.2014
7	डॉ. ब्रह्मजीत	11.04.1985	05.09.2013	04.09.2014
8	डॉ. आलोक शर्मा	12.03.1983	09.09.2013	08.09.2014
9	डॉ. महेन्द्र कुमार बेनीवाल	10.06.1985	18.02.2013	17.02.2014
10	डॉ. राहुल सोनी	14.07.1983	16.09.2013	15.09.2014
11	डॉ. अंकुर शर्मा	29.03.1989	12.02.2014	11.02.2015
12	डॉ. राजदीप मित्तल	21.03.1981	03.03.2014	02.03.2015
13	डॉ. अंजलि सिंह	27.01.1982	29.12.2011	09.02.2013 (143 EOL)
14	डॉ. लोकेश कौशिक	05.03.1987	05.09.2013	04.09.2014
15	डॉ. कपिल कुमार	29.05.1987	03.03.2014	02.03.2015

16	डॉ. अरविन्द कुमार सैनी	16.12.1984	08.08.2013	07.08.2014
17	डॉ. रंजना नरानिया	19.10.1980	22.02.2013	21.02.2014
18	डॉ. प्रशान्त कुमार शर्मा	26.09.1987	10.02.2014	09.02.2015
19	डॉ. अनुप्रिया यादव	17.08.1990	03.03.2014	02.03.2015
20	डॉ. दीपक शर्मा	11.11.1978	12.02.2014	11.02.2015

80
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2015/ 384

दिनांक 26.5.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर